कार्यालय केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, मुरादाबाद।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय, मुरादाबाद के न्यायालयों एवं कार्यालयों के निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर उपकरणों (लिस्ट ए, बी, सी, एवं डी) की नीलामी दिनांक 24.08.2026 को समय सायं 04:30 बजे से दीवानी न्यायालय, मुरादाबाद के दस कक्षीय भवन के भूतल पर स्थित सभागार कक्ष में नीलामी समिति के द्वारा की जायेगी।

नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति नियम एवं शर्तों की जानकारी जनपद न्यायालय, मुरादाबाद के केन्द्रीय नजारत अनुभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। विस्तृत विवरण हेतु नोटिस बोर्ड एवं न्यायालय के वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते हैं।

3/8/26

(कृष्ण कुमार सिंह-II)
अध्यक्ष (नीलामी समिति),
जनपद न्यायालय, मुरादाबाद

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जनपद न्यायालय, मुरादाबाद नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
2. कलेक्ट्रेट, मुरादाबाद नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
3. समस्त बार एसोसिएशन, मुरादाबाद।
4. कैंट्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, मुरादाबाद को स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराने एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कराये जाने हेतु।
5. कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, मुरादाबाद को उक्त प्रेस विज्ञप्ति की एक छायाप्रति माननीय जनपद न्यायालय मुरादाबाद और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित की जायें।

3/8/26

(कृष्ण कुमार सिंह-II)
अध्यक्ष (नीलामी समिति),
जनपद न्यायालय, मुरादाबाद

कार्यालय केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, मुरादाबाद।

नीलामी के नियम व शर्तें

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय, मुरादाबाद के न्यायालयों एवं कार्यालयों के निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर उपकरणों (लिस्ट ए, बी, सी, एवं डी) की नीलामी दिनांक **24/08/2026** दिन सोमवार को नियत की गयी है, जोकि उक्त दिवस को दीवानी न्यायालय, मुरादाबाद के दस कक्षीय भवन के भूतल पर स्थित सभागार कक्ष में समय सायं 04:30 से सम्पन्न की जायेगी। इस नीलामी की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित है:-

1- उक्त न्यायालयों एवं कार्यालयों के निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर उपकरणों की नीलामी हेतु **न्यूनतम धनराशि 40,000.00 रूपये** निर्धारित की गयी है।

2- नीलामी हेतु आवेदनकर्ता को **मु० 5,000/- रूपये का बैंक ड्राफ्ट जिला जज, मुरादाबाद के नाम से अथवा नगद प्रतिभूति** के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।

3- नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना निवास प्रमाण पत्र / राशन कार्ड, आधार संख्या व पासपोर्ट साईज का फोटो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा इससे संबन्धित मूल प्रपत्र भी मिलान के लिये दिखाना होगा। इन प्रपत्रों के अभाव में किसी व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नही होगा।

4- नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, मुरादाबाद को होगा। माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा बिना कारण बताये व विशेष परिस्थितियों में उच्चतम बोली को भी अस्वीकार किया जा सकता है।

5- किसी भी दशा में नीलामी राशि, निर्धारित न्यूनतम धनराशि से कम स्वीकार नहीं की जायेगी।

6- नीलामी प्राप्त करने वाले को अंतिम रूप से स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि, नगद या चेक के माध्यम से उसी तिथि अथवा अगले कार्यदिवस में केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, मुरादाबाद के कार्यालय में जमा करनी होगी।

7- नीलामी प्राप्त कर्ता को कम्प्यूटर उपकरणों को हटाने के लिए नीलामी सम्पन्न होने के दूसरे तिथि से अधिकतम एक सप्ताह का समय प्रदान किया जायेगा।

11/8/26

(धीरेन्द्र सिंह)
सदस्य(नीलामी समिति)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रेक कोर्ट कक्ष संख्या- 2
मुरादाबाद।

11/8/2026

(अरूण कुमार-III)
सदस्य(नीलामी समिति)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या- 9,
मुरादाबाद।

(कृष्ण कुमार सिंह-II)
अध्यक्ष(नीलामी समिति)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या- 6,
मुरादाबाद।